

Photo

प्रारूप -8

(अनुसूची-3-11 (i) (ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

(चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में
प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

बंध -पत्र

(सम्यक रूप से स्टांपित बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1— मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासीमध्यप्रदेश के चिकित्सा / दंत चिकित्सा
महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र.....में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी
हूँ।

2— मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम
2018 एवं संशोधन जून 2019 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।

3— मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि:-

i) सीट लिविंग बॉण्ड-

अ मैं चिकित्सा/दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर
पाठ्यक्रम पूर्ण करूँगा/करूँगी।

ब यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट सम्य सीमा के पश्चात् एवं
पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन
किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित शासकीय चिकित्सा/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय
की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बॉण्ड राशि रु. 30,00,000/- (रु. तीस लाख) भुगतान करने
का वचन देता हूँ/देती हूँ अथवा निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित सीट
से त्यागपत्र दिये जाने पर संबंधित में सम्पूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क शासन को
देय होगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह:-

1.....

2.....